न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/19 **दायरा दिनांक : 10.02.2025**

उनवान

महेन्द्र सिंह चौहान पुत्र गोपाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी पोस्ट आफिस रोड़ भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ राज0 .... अपीलांट

बनाम

1. जूजर पुत्र फखरूद्दीन मामा, जाति बोहरा, निवासी बुर्हानी टावर, ए ब्लॉक वसीन ब्रिज चेन्नई तमिलनाडू 600021
2. भगवान सिंह पुत्र कालू सिंह, जाति राजपूत, निवासी देवरिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ राज0 .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 (251–ए)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री योगेन्द्र गौतम अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 22.05.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 (251–ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 2/2023 निर्णय दिनांक 13.02.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम देवरिया, तहसील पचपहाड में आराजी खाता सं. 183 नया व पुराना 226 की आराजी खसरा नं. 63 रकबा 0.9737 हेक्टेयर आराजी कुल किता 1 कुल रकबा 0.9737 हेक्टेयर आराजी जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी ने अपने निर्णय दिनांक 13.02.2024 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि मातहत न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है, एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है, जो अपास्त होने योग्य है। अपीलान्ट (प्रार्थी) ने अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम देवरिया, तहसील भवानीमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 63 रकबा 0.9737 हेक्टेयर में आने जाने का रास्ता डग–भवानीमण्डी की मुख्य सड़क से होकर अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम दर्ज आराजी खसरा नं. 66 रकबा 0.2529 हेक्टेयर की उत्तरी मेड़ से होते हुए खसरा नं. 65 रकबा 0.1391 हेक्टेयर की पश्चिमी मेढ़ से होते हुए एवं एक अन्य वैकल्पिक रास्ता डग–भवानीमण्डी की मुख्य सड़क से होकर अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दर्ज आराजी खसरा नं. 68 रकबा 0.4299 हेक्टेयर की दक्षिणी मेढ़ से होते हुए अप्रार्थी नम्बर 2 के नाम दर्ज आराजी खसरा नं. 64 रकबा 0.3414 हेक्टेयर पर होते हुए के बाबत रास्ते का प्रार्थना पत्र पेश किया था। प्रार्थी के पास अपने खसरा नम्बर 63 पर आने जाने का इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है उसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ता देने का आदेश नहीं किया है। जो काबिल गौर है। मौका रिपोर्ट बनाते समय पटवारी ने प्रार्थी को नहीं बुलाया और न ही तहसीलदार की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट बनायी है, उक्त मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण ने पटवारी से सांठ गाठ कर बनवायी है, मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी एवं तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं हैं, जो काबिल गौर है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.01.2025 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि हमने अधीनस्थ न्यायालय में खाता सं. 63 की आराजी पर रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता होना बताते हुए हमारा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। यदि हमारे पास रास्ता होता तो हम प्रार्थना पत्र क्यों पेश करते। वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने हमें सुनवायी का पर्याप्त अवसर नहीं दिया अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2023 (2) डी.एन.जे. (रेवेन्यु) पेज 1048 की नजीर उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि राजस्व माल ग्राम देवरिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड राज0 में अपीलांट के खसरा संख्या 63 रकबा 0.9737 हैक्टेयर आराजी स्थित है, जिस पर आने जाने हेतु माननीय विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमंडी में अपीलांट/वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत नवीन रास्ता रेस्पोडेंट्स/अप्रार्थी के खसरा संख्या 65 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, खसरा संख्या 66 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, एवं खसरा संख्या 68 रकबा 0.4299 हैक्टेयर भूमि से स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसको कि माननीय विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2024 को यह वर्णन करते हुए कि अपीलांट/प्रार्थी के पास सरकारी रास्ता

(दीपित सुरेन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खसरा संख्या 78/3 रकबा 0.5058 हैक्टेयर आराजी से वैकल्पिक पहुंच मार्ग उपलब्ध है, खारिज कर दिया था। अधिनियम कि धारा 251–क, केवल जिन काश्तकारों के पास अपनी जोत पर पहुंच मार्ग नहीं होने कि स्थिति में ही पहुंच मार्ग उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को पूरा करता है, न कि किसी को उपलब्ध मार्ग के अलावा भी उसकी सुविधा के अनुसार मार्ग उपलब्ध करवाने के विषय पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत एवं तथ्यपरक है। उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी द्वारा दिनांक 13.02.2024 को पारित निर्णय पूर्णतः विधि सम्मत, न्यायोचित एवं उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित है। अधीनस्थ न्यायालय ने संपूर्ण राजस्व अभिलेख, मौका रिपोर्ट एवं पक्षकारों के कथनों पर विचार करने के पश्चात यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी/वादी के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, अतः धारा 251–क, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अंतर्गत रास्ता दिये जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। अपीलार्थी द्वारा अपील ज्ञापन में यह तथ्य छुपाया है कि तहसीलदार पचपहाड़ की मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि खसरा नं. 63 तक पहुँचने हेतु खसरा नं. 78/3 सरकारी सिवायचक भूमि से होकर वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। उक्त मार्ग डग–भवानीमण्डी मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है। मौके पर अन्य खातेदार भी इसी मार्ग का उपयोग कर रहे हैं। अतः यह कहना कि अपीलार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है, पूर्णतः असत्य एवं भ्रामक है। किसी व्यक्ति को निजी भूमि पर अनावश्यक रास्ता देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जब किसी खातेदार के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो, तब दूसरे व्यक्ति की निजी खातेदारी भूमि पर से नया रास्ता नहीं दिया जा सकता। अपीलार्थी द्वारा जिस रास्ते की मांग की गई है, वह अप्रार्थी सं. 1 की निजी खातेदारी भूमि खसरा नं. 65, 66 एवं 68 से होकर प्रस्तावित है। ऐसा आदेश पारित करना अप्रार्थी के संवैधानिक एवं वैधानिक संपत्ति अधिकारों का अतिक्रमण होगा।

अपीला ी द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति निराधार है। मौका रिपोर्ट सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा तैयार की गई है तथा उसमें मौके की वास्तविक स्थिति अंकित है। मात्र इस आधार पर कि अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं है, मौका रिपोर्ट को अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। राजस्व प्रकरणों में मौका रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होती है और जब तक उसके विपरीत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत न हो, तब तक उसे स्वीकार किया जाना विधि सम्मत है। अपीलार्थी स्वेच्छा से विवाद उत्पन्न करना चाहता है। अपीलार्थी द्वारा जान बूझकर रेस्पोडेंट्स/अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि से रास्ता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि उसे अन्य मार्ग उपलब्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी अनावश्यक रूप से विवाद उत्पन्न कर अप्रार्थी को परेशान करना चाहता है। धारा 251–क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य केवल ऐसे खातेदार को मार्ग उपलब्ध कराना है, जिसके पास कोई अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त मार्ग उपलब्ध न हो। जबकि वर्तमान प्रकरण में वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है।

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अतः धारा 251–क का लाभ अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता। इसी संदर्भ में न्यायालय राजस्व मंडल, अजमेर राजस्थान द्वारा अपने निर्णय प्रीतम सिंह बनाम मेनपाल व अन्य रिविजन सं. 3052/श्री गंगानगर/2015 निर्णय दिनांक 30.03.2017 RRD 2017 पेज संख्या 515 पर माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि "धारा 251–क में दो तथ्य आवश्यक है :– (1) रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता, केवल सुविधाजनक स्थिति के लिए नहीं। (2) वैकल्पिक साधन का अभाव। जबकि अपीलांट के पास अपनी जोत पर पहुंचने के लिए अन्य वैकल्पिक पहुंच मार्ग स्थित है। इसलिए भी अपील खारिज होने योग्य है।

अपीलार्धी को अपनी कृषि जोत पर पहुंच मार्ग की सद्भाविक आवश्यकता नहीं है, अपितु अप्रार्थी को क्षति पहुंचाने का उद्देश्य है। जबकि अपीलार्थी के पास वैकल्पिक पहुंच मार्ग उपलब्ध है। अधिनियम कि धारा 251 (क) केवल और केवल वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही लागू होती है, न कि सुविधा के आधार पर। जब प्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में उक्त धारा के प्रावधानों के अनुसरण में मार्ग उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष लिखित बहस प्रस्तुत कर सादर निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किया जाए तथा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखा जाने एवं रेस्पोड़ेंट्स/प्रतिवादी सं. · की खातेदारी भूमि पर अवैध रूप से रास्ता घोषित करने से इंकार किया जाये। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2017 पेज संख्या 515 की नजीर उद्धरत की।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि ग्राम देवरिया, तहसील पचपहाड में खाता संख्या 183 नया व पुराना 226 की आराजी खसरा नं. 63 रकबा 0.9737 हेक्टर आराजी वादी के कब्जे काश्त व खाते की है। वादी की उक्त आराजी के पास ही प्रतिवादीगण सं. 1 जूजर बोहरा के खाते की आराजी खसरा नं. 65 रकबा 0.1391 हेक्टर, खसरा नं. 66 रकबा 0.2529 हेक्टर, खसरा नं. 67 रकबा 0.3161 हेक्टर, खसरा नं.

(पीपी रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

67 रकबा 0.1361 हेक्टर, खसरा नं. 68 रकबा 0.4299 हेक्टर आराजी स्थित है। वादी अपनी वादग्रस्त आराजी पर आने जाने के लिए डग–भवानीमण्डी की मुख्य सडक से होकर प्रतिवादी कम 1 की आराजी खसरा नं. 66 रकबा 0.2529 हेक्टर की उत्तरी मेढ से होते हुए खसरा नं. 65 रकबा 0.1391 हेक्टर की पश्चिमी मेढ से होते हुए अपने खेत पर निकलता है, वादी द्वारा कई वर्षों से इसी रास्ते का उपयोग उपभोग निर्बाध रूप से किया जा रहा है। इस रास्ते पर प्रतिवादी कम 1 ने रास्ता बंद कर दिया है। वादी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी अपनी आराजी खसरा नं. 63 रकबा 0.9737 हेक्टर पर आने–जाने के लिए डग–भवानीमण्डी की मुख्य सड क से होकर प्रतिवादी कम 1 की आराजी खसरा नं. 66 रकबा 0.2529 हेक्टर की उत्तरी मेढ से होते हुए खसरा नं. 65 रकबा 0.1391 हेक्टर की पश्चिमी मेढ से होते हुए रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाये। यदि यह रास्ता दिया जाना संभव नहीं हो तो एक अन्य वैकल्पिक रास्ता डग–भवानीमण्डी मुख्य सडक से प्रतिवादी कम 1 की आराजी खसरा नं. 68 रकबा 0.4299 हेक्टर की दक्षिणी मेड़ से होते हुए खसरा नं. 64 रकबा 0.3414 से होते हुए वादी की आराजी खसरा नम्बर 63 पर आता है। अतः 20 फुट चौडा रास्ते के रूप में जमाबंदी में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी नं. 1 द्वारा जर्ये अधिवक्ता जवाब पेश कर कथन किया कि धारा 251–ए के प्रावधान वहा लागू होते है जहां किसी आराजी पर पंहुचने का कोई रास्ता ना हो, ऐसे में यह वाद चलने योग्य नहीं है। वादी की आराजी पर पहुंचने का सरल, सुगम व वर्षों से निरंतर चलने वाला मार्ग खसरा नं. 78/3 जो कि सरकारी पड़त भूमि है, पर से है। यह मार्ग खसरा नं. 63 से खसरा नं. 78/3 के लगवा है। वादी व आस–पास के अन्य खातेदार लगातार उक्त भूमि से ही अपनी आराजी पर आते है, यह रास्ता वर्षों से चालू है। इसके अतिरिक्त वादी की खाता संख्या 63 की दूसरी मेड़ से लगवा खसरा नं. 72, जो वादी के पिता की भूमि है, उस पर से भी रास्ता चालू है। दोनो तरफ से मार्ग चालू है। वादी निरंतर उसी का उपयोग कर रहा है। इस प्रकार नया मार्ग बनाने को कोई अधिकार नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार पचपहाड के पत्रांक 1226 दिनांक 13.07.2023 से प्राप्त हुई। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 63 रकबा 0.9737 वादी महेन्द्र पिता गोपालसिंह के नाम दर्ज है, खसरा नं. 72 रकबा 1.1128 हेक्टर भूमि खातेदार गोपालसिंह पिता मानसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर खसरा नं. 63 व 72 की मध्य मेर काश्त करने से एक चक बना हुआ है जो कि एक ही परिवार की भूमि है व कय द्वारा अर्जित की हुई है। डग भवानीमण्डी मुख्य सड़क से होते हुए प्रतिवादी जूजर आत्मज फखरूद्दीन मामा, जाति बोहरा व भगवान सिंह आत्मज कालू सिंह, जाति राजपूत

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

के खसरा नम्बर पर होते हुए प्रार्थी के खसरा नं. 63 पर पहुंच मार्ग वैकल्पिक मार्ग चाहा गया है उक्त वैकल्पिक मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक मार्ग डग भवानीमण्डी मुख्य सडक से खसरा नं. 110 में होते हुए आगे की ओर जाता है। इसी रास्ते से खसरा नं. 71/2 व 103 के मध्य होता हुआ खसरा नं. 71/1 तक जाता है जो कि मौके पर चालू स्थित है, से खसरा नं. 72 में पहुंच हेतु निकटतम मार्ग स्थित है जो कि अन्य खातेदारान की जोत में होकर जाना ही संभव है। उक्त मार्ग के अतिरिक्त डग भवानीमण्डी रोड से पचपहाड व देवरिया कांकड पर स्थित रास्ते से खसरा नं. 63 वादी के खेत तक पहुंच हेतु खसरा नं. 78/3 रकबा 0.5058 सिवायचक खाता सरकार भी स्थित है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी ने अपने निर्णय दिनांक 13.02.2024 से वादी के खाते की आराजी खसरा नं. 63 पर पहुंच मार्ग उपलब्ध होने से वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 निरस्त किया, इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट वादी द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गयी।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत किसी खातेदार को उसके खाते की आराजी तक पहुंचने हेतु पहुंच मार्ग तभी उपलब्ध करवाया जाता है जब खातेदार के खाते की आराजी तक पहुंचने हेतु चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं हो अर्थात् वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता साबित होना आवश्यक विधिक प्रावधान है। तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा अपने पत्र दिनांक 13.07.2025 से उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी को प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी अपीलांट द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी अपीलांट की आराजी तक पहुंचने हेतु दो वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। प्रस्तुत अपील में अपीलांट ने तहसीलदार पचपहाड की मौका रिपोर्ट में अंकित दोनों वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता होने के आधार पर ही धारा 251 (क) के विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय धारा 251 (क) के विधिक प्रावधानों के अनुरूप होने से हम अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/05/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा